

दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 17.02.2021 तक विभिन्न व्यक्तियों के रूपये वापस कराये जाने का विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर सेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 12 व्यक्तियों के 7,00,566/-रूपये (सात लाख पांच सौ छ्छठ रूपये मात्र) खाते से अवैध तरीके से निकाले गये धनराशि को उन्हीं के खाते में वापस कराने में सफलता हासिल की, जिनका विवरण निम्नवत है:-

1-श्री दिलीप कुमार, निवासी बलिया दक्षिण, थाना मईल, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का तीन बार में 3,23,278/- रूपये मात्र वापस कराया गया।

2-श्री वंशराज यादव, निवासी बैजनाथपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 10,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

3- श्रीमती शिल्पा चैहान, निवासी मगहरा, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादिनी का 32,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया। साथ ही 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

4-श्री अभिषेक गौड़ पुत्र प्रभुनाथ, निवासी कोटवा, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 8,288/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

5-श्री शशिकान्त यादव पुत्र कमला यादव, निवासी हतवा तिवारी टोला, थाना भटनी जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का में 88,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

6-श्री जयराम यादव पुत्र रामप्रसाद, निवासी चमुकी, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 19,500/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

7-श्रीमती शिमला देवी पत्नी तारकेश्वर गुप्ता, निवासी मझौवा, थाना खुखुन्दू, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 54,500/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

8-श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी दयाशंकर गुप्ता, निवासी वार्ड नं0 12, थाना भटनी, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 70,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

9-श्री शम्भू, निवासी टेघरा, थाना भटनी, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 17,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

10-श्री विनीत कुमार सिंह पुत्र सूर्यनारायण सिंह, निवासी परसिया कुरह, थाना बरहज, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी कां 30,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

11-श्री उपेन्द्र प्रताप राव पुत्र नरेन्द्र प्रताप राव, निवासी गढ़रामपुर, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का 23,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।

12-श्री संजय कुमार राय पुत्र सीताराम, निवासी दीवानी कचहरी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से आनलाइन रूपये की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का दो बार में 25,000/-रूपये मात्र वापस कराया गया।